RRHo.4247
25/11/13

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः एफ.3(1)साप्र/2/2013 पार्ट–I जयपुर, दिनांक 19 NOV 2013

—: आदेश :—

निम्नांकित अधिकारियों को उनकी तृतीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित किए गये राजकीय आवास का उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तो के आधार पर एतदद्वारा आंवटन /परिवर्तन किये जाते हैं :—

| क.सं. | वरियता सं. | नाम व पद | आवंटित आवास संख्या | परिवर्तित आवास संख्या | सेवानिवृति दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194/2013 | श्री चन्द गुरियां<br>कनिष्ठ लिपिक<br>कार्यालय निदेशक<br>राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि,<br>विभाग, राजस्थान, जयपुर। | जीए/III/टी–2/96<br>विद्याधरनगर | ए–145, जवाहरनगर | 31.8.2024 |
| 2 | 195/2013 | श्री महेश चन्द शर्मा<br>कनिष्ठ लिपिक<br>कार्यालय निदेशक<br>राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि<br>विभाग, जयपुर। | ए–145, जवाहरनगर | जीए/III/टी–2/96<br>विद्याधरनगर | 30.6.2021 |

शर्तेः–

1. आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूँकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अंनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास आवंटन की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षैत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी :–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंय/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्यों के नाम से जयपुर मे निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

(राजेन्द्र प्रसाद खोरानिया)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

4. वित्तीय सलाहकार / कोषाधिकारी, शासन सचिवालय / जयपुर शहर, जयपुर।
5. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग / जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी / जयपुर वि0वि0निगम लि0 गॉधीनगर / विद्याधरनगर जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर– **कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।**
9. **सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गॉधीनगर जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्ते संख्या–8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।**
10. **सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, पुलिस अकादमी जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्ते संख्या–8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।**
11. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
12. आवंटी अधिकारीगण –कृपया परिवर्तित राजकीय आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित राजकीय आवास रिक्त कर सूचित करावें।
13. संबंधित अधिकारीगण।
14. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग।
15. प्रबन्धक, सर्किट हाउस, जयपुर।
16. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर।
17. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर।
18. रक्षित पत्रावली।

(मुन्ना लाल शर्मा) 17/11/17
शासन सहायक सचिव